Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)** मुकाम **जोधपुर**

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
लालसिंह पुत्र श्री बालु सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम सूंथला, तहसील व जिला जोधपुर		नरसीसिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम नारनाडी, तहसील झंवर, जिला जोधपुर व अन्य (1 से 5 तक)

किस्म मुकदमा **रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र** नं0 ~~44/2025~~ सन् ~~2026~~ 01/2026

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर द्वारा हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
02.01.2026	अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र बाबत् आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी मय शपथ–पत्र राजस्व अपील को पुनः रेस्टोर किया जाकर को पुनः उसी नम्बर पर लिये जाने हेतु मय धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी अपील को रेस्टोरेशन कर पुनः स्थापित करने की बहस में बतलाया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील संख्या 44/2025, जो अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 2820 दिनांक 27.08.2020, जो उप तहसीलदार झंवर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध न्यायालय हाजा में विचाराधीन थी। उक्त अपील में तारीख पेशी दिनांक 10.09.2025 नियत थी, अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी के नोटिस पेश नहीं करने पर अदम हाजरी में खारिज कर दी गई, जिसकी जानकारी दिनांक 28.12.2025 को पेशी रजिस्टर देखा तो कोई तारीख न मिलने पर न्यायालय से पता करने पर हुई कि अपील अदम हाजरी में खारिज हो गई है। अपीलांट अधिवक्ता की सद्भाविक त्रुटि थी, जो जानबूझकर कारित नहीं की गई है। अतः इन परिस्थितियों में विलंब को माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर सुनवाई किया जाने हेतु प्रार्थना की है। हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना–पत्र मय धारा 5 म्याद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहे। अपीलार्थी अधिवक्ता की उक्त त्रुटि सद्भाविक होने से न्यायहित में अपीलांट अधिवक्ता का प्रार्थना–पत्र मय धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 44/2025 बअनवान लाल सिंह बनाम नरसी सिंह व अन्य को पुनः उसी नम्बर से रेस्टोर किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (जवाहर चौधरी) **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)** **जोधपुर**	